

दिनांक 09.03.2017 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्यबल के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की नौवीं बैठक के लिए कार्यवृत्त।

नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की नौवीं बैठक दिनांक 09.03.2017 को नई दिल्ली में 11:00 बजे आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता सीडब्ल्यूसी के पूर्व अध्यक्ष और समूह के अध्यक्ष श्री एडी मोहिले ने की। प्रारंभ में, समूह के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों और आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि राजविअ द्वारा दिनांक 23.02.2017 को आयोजित आठवीं बैठक में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई तीसरी प्रारूप रिपोर्ट 06.03.2017 को परिचालित की गई थी। माननीय सदस्य प्रारूप रिपोर्ट को शीघ्रता से देखना चाहते हैं और रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकते हैं। बाद में राजविअ के निदेशक (तकनीकी) श्री केपी गुप्ता ने कार्यसूची मदों को उठाया। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-1** में संलग्न है।

मद संख्या 9.1: दिनांक 23 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

नई दिल्ली में 23 फरवरी, 2017 को नदियों को आपस में जोड़ने के लिए टास्क फोर्स के अंतर्गत कानूनी पहलुओं पर समूह की 8वीं बैठक के कार्यवृत्त को दिनांक 2 मार्च, 2017 के पत्र के माध्यम से सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। विचार-विमर्श के बाद, 23.02.2017 को आयोजित कानूनी पहलुओं पर समूह की 8वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि समूह द्वारा की गई थी क्योंकि कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

मद संख्या 9.2: कानूनी पहलुओं पर समूह की प्रारूप रिपोर्ट पर चर्चा।

सदस्यों ने पहले 3.4.2 और 3.5 के नए जोड़े गए पैरा के माध्यम से जाना और इसे अंतर बेसिन जल हस्तांतरण के दृष्टिकोण से अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ संशोधनों का सुझाव दिया। प्रोफेसर अवधेश प्रताप कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़ना चाहते थे, विशेष रूप से एसवाईएल नहर के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के बारे में। बाद में प्रोफेसर अवधेश प्रताप द्वारा सुझाए गए टाइपोग्राफिकल त्रुटियों सहित मामूली सुधार रिपोर्ट में किए गए थे। समूह की सिफारिशों से संबंधित धारा-IV में आईएलआर के संबंध में आम सहमति बनाने के महत्व पर एक और पैरा जोड़ा गया था।

माननीय सदस्यों ने महसूस किया कि रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए एक और बैठक की आवश्यकता हो सकती है।

मद संख्या 9.3 अध्यक्ष की अनुमति के साथ कोई अन्य मद

अगली बैठक दिनांक 17.3.2017 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था ताकि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सके और जल्द से जल्द कार्य बल के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सके। बैठक का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।